न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—191/2021/225आर.टी.एक्ट (2021/191)

1. श्रीमती निर्मलादेवी पुत्री स्व. गोविन्दराम घोसी पत्नि दीपक ग्वाला, जाति, निवासी गली नम्बर 3, छावनी, ब्यावर, जिला अजमेर हाल निवासी पलटन बाजार, अजमेर जरिये मुख्त्यारआम मोहनलाल ग्वाला पुत्र मुन्नालाल जी ग्वाला, जाति घोसी, निवासी सीता वाटिका कॉलोनी, कंकाली माता मंदिर के पास, टोंक हाल निवासी गली नम्बर 3 छावनी, ब्यावर जिला अजमेर ।
2. श्रीमती संतोषी देवी पत्नी मोहनलाल ग्वाला, जाति घोसी निवासी सीता वाटिका कॉलोनी , कंकाली माता मंदिर के पास, टोंक हाल निवासी गली नं. 3 छावनी ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार माछर पुत्र राधाकिशन माछर, जाति माहेश्वरी, निवासी नरसिंह गली, ब्यावर, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर, जिला अजमेर।
3. उप—पंजीयक ब्यावर जिला अजमेर।
4. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर अजमेर।

रेस्पोडन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.08.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर, प्रकरण सं० 30/ 2021(2021/97).

उपस्थितः—

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट ।
2. श्री अजीत सिंह वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 व 4

निर्णय

दिनांकः—29.08.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 30/2021 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक वाद बाबत खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर के समक्ष पेश किया एवं वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या 156 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी वाके ग्राम गढी थोरियान, पटवार क्षेत्र बलाड, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नयानगर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण के दादा स्व. लालाराम पुत्र बालूराम चले आ रहे थे। मूल खातेदार लालाराम पुत्र बालूराम के तीन पुत्र गुलाबचंद, गोविन्दराम,घनश्याम तथा तीन पुत्रियां श्रीमती चेनीबाई, श्रीमती सुंदरदेवी व श्रीमती मुन्नीदेवी एवं पत्नि श्रीमती कल्लोबाई वारिसान है। लालाराम जी के देहान्त होने पर उनकी तीन पुत्रियों द्वारा विवादित आराजी में अपना हक त्याग करने पर उनका विरासती नामांतकरण संख्या 1795 दिनांक 5.12.2006 उनके तीन पुत्र गुलाबचंद, गोविन्दराम व घनश्याम तथा पत्नि कल्लोबाई के नाम स्वीकृत हुआ। प्रार्थीगण गोविन्दराम जी की जाईन्दा पुत्रियां है तथा विवादित आराजी पुश्तैनी होने से जन्म से ही विवादित आराजी में प्रार्थीगण का हक व हिस्सा निहित हैं, लेकिन अप्राथी संख्या 1 नरेन्द्र कुमार ने प्रार्थीगण के पिता स्व. गोविन्दराम के वृद्ध होने का नाजायज फायदा उठाते हुए आराजी में से लगभग दो बीघा भूमि को स्व. गोविन्दराम व उनके भ्रातागण गुलाबचंद व घनश्याम से दिनांक 14.10.2019 को एक विक्रय–पत्र अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया तथा निष्पादित पत्र प्रार्थीगण के हक व अधिकारों के प्रति कानूनन शून्य व बेअसर है। उक्त कथनों को अंकित करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किए जाने बाबत निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा उक्त आशय का वाद व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 26.02.2021 से प्रार्थना–पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने बाबत् आदेश पारित किए गए। जिस पर अप्रार्थी जरिये अधिवक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दोनो पक्षों की बहस सुनते हुए अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.08.2021 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.08.2021 से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया गया है कि अपीलांटस द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत् अपने दादा स्व.लालाराम की भूमि होने सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है व लाला राम की मृत्यु की तारीख सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है, जबकि राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्वयं स्पष्ट है कि उक्त भूमि लालाराम पुत्र बालूराम घोसी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है, जिनके देहान्त के पश्चात उनका विरासती नामान्तकरण संख्या 1795 दिनांक 05.12.2006 को उनके तीनो पुत्र गुलाबचन्द, गोविन्दराम व घनश्चाम व पत्नि कल्लोबाई के नाम स्वीकृत हुआ। इस आधार पर विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी होकर प्रार्थीगण का विवादित आराजी में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् जन्म से ही हक व अधिकार निहित है तथा गोविन्दराम द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान नहीं किया जा सकता था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी स्थिति पर गौर किए बिना अवैधानिक रूप से आक्षेपित आदेश पारित किये है। रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 14.10.2019 में स्वयं विक्रेतागण द्वारा विवादित आराजी को पैत्रक आराजी होना स्वीकृत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र पत्रावली पर मौजूद था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी को पैत्रक आराजी नहीं होना मानते हुए अवैधानिक रूप से ओश पारित किये है। मान्नीय

न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2021 को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट को पाबंद फरमाया जावें कि ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त आराजी में अपीलांटस के कब्जे काश्त में दखल मजाहमत उत्पन्न नहीं करें, राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नहीं करें एवं आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण/अपीलांटस की पुश्तैनी आराजी चली आ रही है, पूर्णतया गलत है, प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रकट हो कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रार्थीगण/अपीलांटस के लालाराम चले आ रहे है। प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा जो सिजरा अंकित किया गया है, जो बदनियती पूर्वक तैयार किया गया है। इस सिजरे में प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र गोविन्दराम के वारिसान का ही नाम वर्णित किया है, उनके द्वारा लालाराम के अन्य पुत्रगण गुलाबचन्द, घनश्याम के वारिसान का नाम वर्णित नहं किया है व न ही लालाराम की पुत्रियों श्रीमती चैनी बाई, सुन्दर देवी व मुन्नी देवी के वारिसान का नाम वर्णित नहीं किया गया है। इस प्रकार स्वयं प्रार्थीगण/अपीलांट के अनुसार इन भूमियों का विभाजन लालाराम के जीवनकाल में हो गया। इस आधार पर यह भूमियॉ पुश्तैनी नही रह जाती है तथा इसी पद में चैनीबाई, सुन्दरदेवी व मुन्नीदेवी द्वारा अपना हक अपने भाईयों के हक में परित्याग करने के कथन वर्णित किये है। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थियागण/अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है एवं सहुलियत का सन्तुलन भी प्रार्थियागण/अपीलांटस के पक्ष में बनना नहीं पाये के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया गया है जो विधि सम्मत आदेश है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज फरमाया जावें।अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने समर्थन में 2000 डब्ल्यू.एल.सी.(यू0सी0)पेज 47, 1983 आर.आर.डी. पृष्ठ 676, 2003 आर. एल.डब्ल्यू. पार्ट तृतीय पृष्ट 1891 (बी), 1996 आर.बी.जे. पृष्ठ 504, 1999 आर.बी.जे. पृष्ठ 301, 404 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

6. विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं गुणावगुण पर पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन

7. उक्त विवादित भूमि लालाराम पुत्र बालूराम घोसी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी, जिनके देहान्त के पश्चात उनका विरासती नामान्तकरण संख्या 1795 दिनांक 05.12.2006 को उनके तीनो पुत्र गुलाबचन्द, गोविन्दराम व घनश्चाम व पत्नि कल्लोबाई के नाम स्वीकृत हुआ। इस आधार पर विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी होकर प्रार्थीगण का विवादित आराजी में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् जन्म से ही हक व अधिकार निहित होते है यह बाबत् तो हक व अधिकार तो दावे साक्ष्य व सुनवाई के तय किये जायेगे, परन्तु उक्त विवादित आराजी बाबत् वाद विचाराधीन है इस बाबत् यदि विवादित आराजी का अन्यत्र बेचान हो जात है तो प्रथमदृष्टया अपूणीय क्षति अपीलांटस को ही होगी तथा आर.एल.डब्ल्यू 2005(1) पेज 449 में यह प्रतिपादित किया गया है पैतृ भूमि पर स्वतः ही उत्तराधिकारी का कब्जा माना जायेगा वारिस को इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नही है। उपरोक्त आधार पर विवादित आराजी बाबत् वाद की बाहुल्यलता नहीं बढ़े इसलिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

ताफैसला मूल वाद तक विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाना उचित समझते है।

8. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 30/2021(2021/97) में पारित आदेश दिनांक 10.8.2021 को निरस्त कर ताफैसला मूल वाद तक विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर